E-Mail

बिहार सरकार,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-01/2013 51 (9n६) /खाद्य,पटना-15, दिनांक-22/12/14

प्रेषक,

हुकुम सिंह मीना,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, सुपौल, मुंगेर, अररिया, मधुबनी, भोजपुर (आरा), शिवहर, मुजफ्फरपुर, जमुई, खगड़िया, गया, नवादा, जहानाबाद, नालंदा, रोहतास, शेखपुरा, पटना, भागलपुर, गोपालगंज, बक्सर ।

विषयः- मुख्य शीर्ष 3456 सिविलपूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, मांग सं0-18 उपशीर्ष 0002 जिला प्रभार विपत्र कोड सं0 एन0-3456000010002 गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में विषय शीर्ष 16 01- प्रकाशन एवं मुद्रण इकाई में 1,59,78,104 (एक करोड़ उनसठ लाख अठहत्तर हजार एक सौ चार) रूपये मात्र के आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग से प्राप्त एवं पूर्व से उपबंधित राशि को विभागीय स्वीकृत्यादेश स0- 50 (बजट) दिनांक 19.12.2014 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में विषय शीर्ष 16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण इकाई में कुल रूपये 1,59,78,104 (एक करोड़ उनसठ लाख अठहत्तर हजार एक सौ चार) रूपये मात्र का प्रावधानित राशि को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में राशन कार्ड मुद्रण हेतु संबंधित जिला पदाधिकारियों को संलग्न सूची की कॉलम- 03 के अनुसार कुल 1,59,78,104 (एक करोड़ उनसठ लाख अठहत्तर हजार एक सौ चार) रूपये मात्र आवंटित करते हुए इस राशि को वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में नियमानुसार व्यय करने की अनुमति दी जाती है ।

2. यह राशि मुख्यशीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन उपशीर्ष 0002 जिला प्रभार, विपत्र कोड सं0 एन0-3456000010002, मांग सं0 18 (गैर योजना), **विषय शीर्ष 16 01 प्रकाशन मुद्रण इकाई** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में विकलनीय होगी ।

3. जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ अनुमंडल आपूर्त्ति कार्यालय एवं प्रखण्ड आपूर्त्ति कार्यालय को अपने स्तर से उपआवंटन निर्गत करेंगें तथा इसकी सूचना विभाग एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भी देंगे ।

(हस्ताक्षर) 22/12/2014

d/sec5/budget14-15/allotment page no62

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

5 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करा देंगे । उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में व्यय संबंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेवार होंगे ।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव 22/12/2014

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-01/2013- 51 (1392) /खाद्य,पटना-15, दिनांक- 22/12/14

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव 22/12/2014

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-01/2013- 51 (1393) /खाद्य,पटना-15, दिनांक- 22/12/14

प्रतिलिपिः-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव । 22/12/2014

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-01/2013- 51 (1395) /खाद्य,पटना-15, दिनांक- 22/12/14

प्रतिलिपिः-सभी संबंधित जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव । 22/12/2014

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-01/2013- 51 (1396) /खाद्य,पटना-15, दिनांक- 22/12/14

प्रतिलिपिः-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी 05 एवं 06 तथा आई0 टी0 मैंनेंजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव । 22/12/2014

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में
राशन कार्ड हेतु राशि की आवश्यकता

क्र0 स0	जिला का नाम	जिलों को आवंटन हेतु राशि
1	2	3
1	पूर्वी चम्पारण	9,54,626
2	सुपौल	4,33,260
3	मुंगेर	5,00,000
4	अररिया	13,27,500
5	मधुबनी	10,00,000
6	भोजपुर (आरा)	10,50,000
7	शिवहर	25,000
8	मुजफ्फरपुर	21,66,143
9	जमुई	8,91,724
10	खगडिया	3,00,000
11	गया	5,00,000
12	नवादा	4,20,000
13	जहानाबाद	1,24,737
14	नालंदा	15,00,000
15	रोहतास	17,00,000
16	शेखपुरा	50,000
17	पटना	7,00,000
18	भागलपुर	10,00,000
19	गोपालगंज	10,00,000
20	बक्सर	3,35,114
	योगः-	1,59,78,104

(एक करोड़ उनसठ लाख अठहत्तर हजार एक सौ चार) रुपये मात्र

सरकार के सचिव
19/2/2014

D:\sec-5\budget 14-15\BUDGET PROVISIONSheet89